अनुसूची 14 फारम संख्या 562

न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

तारीख

आदेश पत्रक राजेश कु० जैन ....प्रथम पक्ष

बनाम

पक्ष बाबुलाल मिस्त्री वगै० ....द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ....से ....तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ....206.....सन् 2021

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
23/10/2021 C.C. Issued 28/10/21	आवेदक/आवेदिका – राजेश कुमार जैन (श्री हरिहरधाम ट्रस्ट के सदस्य) पिता स्व0 महावीर प्रसाद जैन सा0 – सरिया राय थाना – सरिया, जिला – गिरिडीह, . द्वारा दं0 प्र0 स0 कि धारा 144 के अन्तर्गत विवादित भूमि मौजा – जरमुन्ने परगना रामपुर थाना – बगोदर थाना नं0 – 108 खाता नं0 – 62 प्लॉट सख्या – 5808 , रकवा – 50 डी0 चौहदी उ0 – चुरा बडही दं0 – गुरुदयाल तेली पू0 – जंगल सखुवा, पं0 – घुजा बडही मे भू–विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्रप्त आवेदन पर जॉच/मंतव्य अंचल अधिकारी बगोदर /थाना प्रभारी सरिया से मांगे। अभिलेख दिनांक 28/10/21 को उपस्थापित करें। [signature] अनु० पदा० बगोदर-सरिया	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभीलेख उपस्थापित। मैं थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी बगोदर के पत्रांक 3239 दिनांक 29/10/24 के द्वारा समर्पित किया गया जॉच प्रतिवेदन के आवलोकन के बाद संतुष्ट हूॅ कि भुमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होनें की आशंका हैं एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति भंग, खुन खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से में संतुष्ट हूॅ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 144 दं० प्र० सं० के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 02/12/24 को करण–पृच्छा की मॉग की जाती है कि क्यों नही एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
बगोदर–सरिया।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
02/12/21	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर है। द्वितीय पक्ष अनु० अभिलेख 16/12/21 को रखें। अनु० प० अ०	
16/12/21	प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर है। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। To 30/12/21 (हस्ताक्षर) 16/12	
30/12/21	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। to 06/01/22	
06/01/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। to 20/01/22	
20/01/22	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	प्रश्नागत वाद आवेदक राजेश कुमार जैन वल्द स्व० महावीर प्रसाद जैन सा० झरिया के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। आवेदक (प्रथम पक्ष) के अनुसार प्रथम पक्ष के संस्था के नाम पर बजरिये खरीदगी केवाला सं०- 8871, दिनांक- 12/11/1965 के द्वारा प्रश्नागत भूमि हासिल है। द्वितीय पक्ष के सदस्यगण प्रथम पक्ष के शांतिपूर्ण दखल-कब्जा को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में ~~विवि~~ निबन्धित विक्रय पत्र की छाया प्रति दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष के अनुसार प्रश्नागत भूमि के खतियानी रैयत चुरो बढ़ही एवं हुलाश बढ़ही है। उक्त दोनों रैयत खतियानी कब्जा के आधार पर खाता- 62, प्लाट- 5807 रकबा 41 डी. पर चुरो बढ़ही तथा प्लाट 5808, रकबा- 50 डी. पर हुलाश बढ़ही दखलकार हुये। हुलाश बढ़ही के पाँच पुत्र -(1) जानकी बढ़ही (2) तेजो बढ़ही (3) चुगल बढ़ही (4) जोहर	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	बड़ही (5) पुत्री बड़ही हुये और आपस में बँटवारा व हिस्सा कर प्रत्येक पुत्र 10 डी. भूमि पर कब्जेदार हुये। खाता - 62, प्लाट - 5808 रकबा 30 डी. मध्ये 10 डी. को दिनांक - 15.12.2018 को खतियानी रैयत जानकी मिस्त्री के पुत्र लालजी बड़ही से रजिस्ट्री दस्तावेज तथा सामान्य अधिकार पत्र से बाबूलाल मिस्त्री हासिल किये। प्रथम पक्ष के द्वारा यह दावा किया गया कि निबंधित विक्रय पत्र के द्वारा हासिल किया गया है, जो संदेहास्पद है। लेख्यकारी दर्शन बड़ही को नाबालिग दर्शाते हुये उसके हिस्से की जमीन को बेच दिया गया। उक्त केवाला में दर्शन बड़ही का कहीं भी अंगूठे का निशान या हस्ताक्षर नहीं है जबकि दर्शन मिस्त्री एक केवाला श्रीमती बुधनी, श्रीमती कंचनी, श्रीमती नीलकंठ देवी के नाम से किया है जिसमें दर्शन मिस्त्री के अंगूठे का निशान है। इससे स्पष्ट है कि दर्शन बड़ही के हिस्से की जमीन को हड़पने के उद्देश्य से यह विक्रय-पत्र निष्पादित किया गया। इस वाद में वर्णित भूमि पर द्वितीय पक्ष का घर एवं चाहरदिवारी	

...की क्र० सं० ...र तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	बना हुआ है। अतः यह वाद चलने योग्य नहीं है। द्वितीय पक्ष द्वारा अपने दावे के समर्थन में सरकारी लगान रसीद सं० - 020556 की छाया प्रति, सामान्य अधिकार पत्र दिनांक - 15/12/2018 की छाया प्रति, खतियान की छाया प्रति, निबंधित विक्रय पत्र की छाया प्रति दाखिल किया गया है। उभय पक्षों द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं दलील सुनने से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रथम पक्ष के विक्रय पत्र के समतुल्य लगान रसीद अंचल कार्यालय से निर्गत नहीं है जबकि द्वितीय पक्ष की दावेदारी 10 डी. भूमि की है जिसका लगान रसीद भी अंचल कार्यालय से निर्गत है, अतः प्रथम पक्ष अपना दावा को पुष्ट करने में सफल नहीं हुये हैं। अतः द्वितीय पक्ष के कारण पृच्छा को स्वीकार करते हुये मात्र 10 डी. भूमि पर नियमन को द्वितीय पक्ष के हित में रखता करता हूँ तथा प्रथम पक्ष के विरूद्ध निषेध योजित करता हूँ।	

...की क्र० सं० ...र तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
C.C. Issued 24/3/22 उ०प्र०लि०	इस आदेश नोटिस निर्गत करने की तिथि अर्थात 23/11/21 से दो महीने के लिये प्रभावी होगा। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। 28/1/22 SDM.	

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.06.09 12:46:16 +05:30
Location: 192.168.1.9